दिनांक 23.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 23/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना कैमरी

- **25–25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.05.2021 को थाना कैमरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर तिराहे के पास से 25–25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–नाजिर 2–नन्हे को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो थाना कैमरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैमरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नाजिर निवासी अजीतपुर थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।

2–नन्हे निवासी अजीतपुर थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।

जनपद हाथरस/थाना सहपऊ

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 12 टन सरिया**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.05.2021 को थाना सहपऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जलेसर बार्डर के पास से 03 अभियुक्तों 1– बंटी 2– योगेन्द्र

3–दीपक को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की 12 टन सरिया, घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियों, 01 ट्रक, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमे अभियुक्त बंटी के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त योगेन्द्र के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 20.05.2021 को थाना सहपऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सहपऊ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सरिया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सहपऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–बंटी निवासी गाजीपुर थाना बरला जनपद अलीगढ़।

2–योगेन्द्र निवासी गाजीपुर थाना बरला जनपद अलीगढ़।

3–दीपक निवासी गाजीपुर थाना बरला जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट की 12 टन सरिया।

2–घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियों,

3– घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक।

4–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस।

जनपद प्रयागराज/थाना मेजा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.05.2021 को थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ऊंचडीह के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—वीरेन्द्र उर्फ जज्जे सहित 2—पवन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ जज्जे शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद प्रयागराज के मेजा थाने पर लूट, धोखाधडी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ जज्जे थाना मेजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2021 धारा 419/420/272 भादवि व 60/63 आबकारी एक्ट व मु0अ0सं0 275/2021 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मेजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वीरेन्द्र उर्फ जज्जे निवासी परानीपुर थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

2—पवन निवासी पकरी सेवार थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

जनपद बरेली/थाना अलीगंज

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 48 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 16 किलो अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 22.05.2021 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गिरधरपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर विमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 48 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 16 किलो अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विमल निवासी कुण्डरिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 48 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 16 किलो अवैध अफीम।

जनपद सोनभद्र/थाना पिपरी

- **04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 257 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **07 हजार 200 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 22.05.2021 को थाना पिपरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना पिपरी क्षेत्रान्तर्गत 04 मादक पदार्थ तस्करों 1–अब्दुल 2–उत्कर्ष उर्फ गोपू 3–अभियुक्ता 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 257 ग्राम अवैध हेरोइन, 07 हजार 200 रूपये नगद बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पिपरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अब्दुल निवासी वार्ड नं0–1 तुर्रा थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।

2–उत्कर्ष उर्फ गोपू निवासी वार्ड नं0–1 तुर्रा थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।

3–अभियुक्ता।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 257 ग्राम अवैध हेरोइन।
2–07 हजार 200 रूपये नगद।

जनपद बाराबंकी/थाना असन्द्रा

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **200 ग्राम अवैध मारफीन आदि बरामद**

दिनांक 23.05.2021 को थाना असन्द्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पुलिया कैथानी के पास से 03 मादक पदार्थ तस्करों 1—जफरूल हसन 2—इनायत अली उर्फ चंदू 3—तालिब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 200 ग्राम अवैध मारफीन आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना असन्द्रा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जफरूल हसन निवासी हटिया सिद्धौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।

2—इनायत अली उर्फ चंदू निवासी उत्तरी अंसारी सिद्धौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।

3—तालिब निवासी उत्तरी अंसारी सिद्धौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—200 ग्राम अवैध मारफीन आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाइन

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **33 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 22.05.2021 की रात्रि थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किला तिराहा के पास से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—बिट्टू 2—नितिन 3—गोपाल 4—विमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 33 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बिट्टू निवासी मो0 कविनगर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखंड।

2–नितिन निवासी ढकिया गुलाबो थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखंड।

3–गोपाल निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

4–विमल निवासी ढकिया गुलाबो थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखंड।

बरामदगी

1–33 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेडी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 56 मोबाइल फोन, 25 मोबाइल चार्जर, 03 टेक्सिको चार्जर, 05 ईयर फोन, 04 डाटा केवल, 05 साडियॉ**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22.05.2021 को थाना गागलहेडी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डी तिराहा रूपडी के पास से 02 अभियुक्तों 1–अंकित कुमार 2–सचिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 56 मोबाइल फोन, 25 मोबाइल चार्जर, 03 टेक्सिको चार्जर, 05 ईयर फोन, 04 डाटा केवल, 05 साडियॉ, 02 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना गागलहेडी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2021 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 113/2021 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित कुमार निवासी रूपडी जुनारदार थाना नागल जनपद सहारनपुर।

2–सचिन कुमार निवासी रूपडी जुनारदार थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 56 मोबाइल फोन, 25 मोबाइल चार्जर, 03 टेक्सिको चार्जर, 05 ईयर फोन, 04 डाटा केवल, 05 साडियॉ।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित कारतूस आदि।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली बीकापुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने चाँदी के आभूषण**
- **03 हजार 500 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 23.05.2021 को थाना कोतवाली बीकापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार मलेथू कनक तिराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1–अजय 2–हनुमान 3–विक्कू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने चाँदी के आभूषण, 03 हजार 500 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बीकापुर पर मु0अ0सं0 209/2021 धारा 454/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद आभूषण व रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी खमरिया सोहावल थाना रैनाही जनपद अयोध्या।

2–हनुमान प्रसाद निवासी नासिरपुर मूसी बिलारी थाना कोतवाली बीकापुर जनपद अयोध्या।

3–विक्कू निवासी बराव थाना तारून जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1–चोरी के सोने चाँदी के आभूषण।

2–03 हजार 500 रूपये नगद।

एस0टी0एफ–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य 05 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ (डोडा) व 1.50 किग्रा अफीम के साथ गिरफ्तार।

दिनांकः 22–05–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5.00 क्विटंल डोडा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 50 लाख रूपये) व 1.50 किग्रा अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग रू0 7.50 लाख) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– नवी आलम पुत्र असलम खान नि0 सैदपुर, थाना वजीरगंज, जनपद बदायॅू।

2– शकील खान पुत्र मंजूर खान नि0 सिरोही थाना भमौरा, जनपद बरेली।

कुल बरामदगी

1— मादक पदार्थ डोडा 05 क्विटल (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 50 लाख रूपये)

2— 01.50 किग्रा अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग रू0 7.50 लाख)

3— 01 बोलेरो पिकप (नं0 यूपी 25 सीटी 6199)

4— 02 अदद आधार कार्ड।

5— 02 अदद मोबाईल फोन।

6— 02 एटीएम कार्ड।

7— 01 पैन कार्ड।

8— रूपये 3310/— नगद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः—

गेगासो क्रासिंग गंगागंज रोड, ग्राम मुसापुर मोड, थाना सरैनी, रायबरेली दिनांक 22.05.2021 समय 22.15 बजे।

विगत कुछ दिनों से एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश को राची (झारखण्ड) से अवैध मादक पदार्थो की अन्तर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 की एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

आरक्षी अशोक राजपूत द्वारा जमीनी स्तर पर अभिसूचना संकलन की गयी, तो जानकारी प्राप्त हुई कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जिसके द्वारा अन्य राज्यों से मादक पदार्थो की तस्करी कर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाकर विक्रय किया जा रहा है। इस गिरोह के कुछ सदस्य आज एक बोलेरो पिकप मे मादक पदार्थ की खेप छिपाकर रायबरेली के रास्ते जनपद बरेली जाने वाले है।

इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 की टीम निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज पाण्डेय, मु0आ0 अशोक गुप्ता, मु0आ0 अंजनी यादव, मु0आ0 संतोष सिंह, आरक्षी कैशलेन्द्र व विजय की एक टीम कार्यवाही करने के उददेश्य से जनपद रायबरेली पहुॅचकर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उक्त अवैध मादक पदार्थ से लदे बोलेरो पिकप को गेगासो क्रासिंग गंगागंज रोड, ग्राम मुसापुर मोड थाना सरैनी, रायबरेली के पास से आवश्यक बल प्रयोग कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह माल (डोडा व अफीम) रांची (झारखण्ड) निवासी छोटू से लेकर आ रहा था। जिसें यह लोग अपने क्षेत्र के नशा करने वालें लोगों को फुटकर में सप्लाई करते थे, डोडा का सेवन लोग पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर उसकी गोली बनाकर नशे के लिए प्रयोग करते है।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 146/2021 धारा 08/21/23ग एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना—सरैनी, जनपद—रायबरेली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0— थाना बरहन, आगरा से रूपया 25,000/— पुरूस्कार घोषित वांछित अपराधी शौकत उर्फ भुल्ली मय 04 अभियुक्त सहित गिरफ्तार

दिनांक 23—05—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश तथा जनपद आगरा पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान थाना बरहन, आगरा से पशु चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देने वाले जनपद आगरा से रूपया 25,000/—के पुरस्कार घोषित अपराधी शौकत उर्फ को मय 04 अभियुक्तो सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1. शौकत उर्फ भुल्ली पुत्र रहमत उर्फ मुंशी, थाना नदरई, जनपद कासगंज।
2. चांद मौहम्मद उर्फ जान मौहम्मद उर्फ संजय पुत्र मुंशी उर्फ टैनी निवासी बड़ाहार, थाना घिरौर, जनपर मैनपुरी ।
3. नूर मौहम्मर पुत्र दिलशाद अहमद निवासी मौहल्ला नवाब चामुण्डा गैस गोदाम के पीछे, थाना कोतवाली, जनपद कासगंज।
4. इरफान पुत्र सरवन निवासी गांव ईखू, थाना फरिहा, जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगीः

1— दो अदद देसी तमंचा नाजायज 315 बोर

2—04 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज 315 बोर

3—01 एक खोखा कारतूस 315 बोर।

4—एक मोटरसाईकिल सीडी डीलक्स नम्बर यूपी—83एएक्स1633

5—चार पहिया वाहन मैक्स पिक अप संख्याः यूपी—81टी 2040

6—चार पहिया वाहन मॉडल ईको संख्याः एचआर—29जेड9563

गिरफ्तारी का स्थान/समय

जनपद आगरा के थाना बरहन क्षेत्रान्र्तगत आगरा नगला नत्था वाले बम्बे की पटरी के पास समय 01.10 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर पशु चोरी, लूट, अपहरण, हत्या करने व भयादोहन आदि अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, के पर्यवेक्षण वाली एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा की टीम दिनांक 22.05.2021 को जनपद आगरा मे फरार/पुरस्कार घोषित अपराधी की तलाश में रवाना हुयी थी। विकसित अभिसूचना तंत्र एवं सटीक जमीनी सूचना के आधार पर एस0टी0एफ0 टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि रूपया 25,000 पुरस्कार घोषित अपराधी शौकत उर्फ भुल्ली पुत्र रहमत उर्फ मुंशी, थाना नदरई, जनपद कासगंज जो कि मु0अ0सं0 110/2020 धारा 307 भादंवि. व 111/2020 धारा 3/8 गौवध अधि0 व 119/2020 धारा 379/411 भादंवि. थाना बरहन, आगरा में वॉछित होने के फलस्वरूप लगातार फरार चल रहा है, जनपद आगरा के थाना बरहन क्षेत्रान्तर्गत पशु चोरी के इरादे से मय अपने साथियों सहित आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके एस0टी0एफ0 टीम मुखबिर व थाना बरहन, आगरा पुलिस को साथ लेकर इस अभियुक्त की तलाश में पहॅुची। थाना बरहन क्षेत्रान्तर्गत आगरा जलेसर रोड पर नगला हरीराम तिराहे पर शिवमंदिर के पास थाना बरहन पुलिस बैरियर लगाकर अभियुक्तों के आने का इन्तजार करने लगे तभी तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल से आते दिखाई दिये, जिनको मुखबिर द्वारा दूर से तस्दीक किया गया। इस पर हम पुलिस बल ने उक्त मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर करते हुये भागने लगे तथा उनके पीछे चल रही चार पहिया वाहन क्रमशः मैक्स पिकअप व ईको जलेसर रोड एटा की ओर भागने लगे, को थाना बरहन पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस की गाड़ियां देखकर अभियुक्त नगला नत्था वाले बम्बे की पटरी पर भागने की कोशिश करने लगे जिससे अभियुक्तों की मोटरसाईकिल हड़बडाहट में गिर गई यह देखकर मैक्स पिकअप व ईको सवार अपराधी उतर कर भाग रहे थे तथा मोटरसाईकिल सवार

व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से हम पुलिस वालों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। एसटीएफ फील्ड यूनिट, आगरा द्वारा अदम्य साहस व वीरता का परिचय देते हुये उ0नि0 श्री मानवेन्द्र सिंह व उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार द्वारा आत्मरक्षार्थ एक–एक फायर किया गया तत्पश्चात बदमाशों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। जाकर देखा जो अभियुक्त शौकत उर्फ भुल्ली उपरोक्त घायल अवस्था में पड़ा हुआ है तथा अन्य पकडे गये अभियुक्तों द्वारा अपना नाम जान मौहम्मद उपरोक्त, नूर मौहम्मद उपरोक्त, इरफान उपरोक्त बताया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई तथा पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे साथी सुशिया उर्फ ईदल पुत्र बाबू निवासी नदरई थाना कोतवाली जनपद कासगंज व रहमान पुत्र डिप्टी निवासी अकराबाद जनपद अलीगढ भागने में सफल रहे।

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा गांव देहात में जाकर तथा पहले से रैकी करके रात्रि में गाय, बैल, भैंस, बछडा (पशु चोरी) का काम करते हैं हैं तथा चुराये गये पशुओं को राहगीरों को औने पौने दाम पर बेचकर अपना खर्चा चला रहे हैं।

<u>अपराधी शौकत उर्फ भुल्ली पुत्र रहमत उर्फ मुंशी थाना नदरई जनपद कासगंज</u> का ज्ञात आपराधिक इतिहास

क्रस	अ0स0	धारा	**थाना**
1	179/17	धारा 457/380 भांदवि.	थाना अमापुर कासगंज
2	224/17	धारा 457/380 भादंवि.	थाना अमापुर कासगंज
3	264/17	धारा 457/380 भादंवि.	थाना अमापुर कासगंज
4	564/17	धारा 379 भांदवि	थाना कोतवाली कासगंज
5	296/19	धारा 307/419/420/467/468 /471 भांदवि	थाना सोंरो कासगंज
6	110/20	धारा 307 भादंवि.	थाना बरहन आगरा
7	111/20	धारा 3/8 गौवध अधि.	थाना बरहन, आगरा
8	119/20	धारा 379 भादंवि	थाना बरहन, आगरा
9	315/20	धारा 380/511 भादंवि.	थाना खन्दौली, आगरा
10	85/21	धारा 379 भादंवि.	थाना बरहन, आगरा
11	87/21	धारा 307 भादंवि.	थाना बरहन, आगरा
12	93/21	धारा 382 भादंवि.	थाना बरहन, आगरा
13	100/21	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	थाना बरहन, आगरा
14	99/21	धारा 307/420/414/411/ 465/468/471/34 भादंवि.	थाना बरहन, आगरा

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों को थाना बरहन, आगरा पर पंजीकृत अभियोगों एवं रूपये 25000 हजार वांछित अपराधी होने पर दाखिल कराया गया है व बरामदशुदा अवैध असलहा एवं वाहनों के सम्बन्ध में थाना बरहन पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 99/21 धारा 307/420/414/411/465/468/471/34 भादंवि., 100/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शौकत उर्फ भुल्ली, 101/21 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट बनाम जान मौहम्मद उर्फ चांद मौहम्मद उपरोक्त के विरूद्व पंजीकृत कर अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————————